8/6/78

पत्रावली आज न्यायालय सहायक कलक्टर डीडवाना में पेश हुई मामले अन्तर्गत धारा 91 जाब्ता फौजदारी की नकल का अवलोकन किया। उप तहसीलदार मौलासर की रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध है। उप तहसीलदार मौलासर की रिपोर्ट अनुसार खसरा सं० 98 की किस्म गैर मु० राजा है जिसकी खातेदारी किसी अन्य व्यक्ति/खातेदार की नहीं है या सरकारी। और ये प्रतिबंधित क्षेत्र है अतः कार्यवाही का कोई अधिकार व लाभ होने से खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner